



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

कमांक एफ 28( )पंरावि/प्रशा.2/ग्रासे/स्थाना-पद/2019/2982

जयपुर दिनांक 13/9/19

मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद झुन्झुनु।

विषय:-ग्राम विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपके जिले की अधीनस्थ पंचायत समिति में कार्यरत निम्न ग्राम विकास अधिकारी की संस्थापन संबंधी सूचनाओं का मिलान करते हुये अन्यत्र पंचायत समिति में स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी कर पालना से अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें:-

| क्र.स. | नाम कर्मचारी                | कहां से (पं.स.)            | कहां को (पं.स.)            |
|--------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1.     | श्री अनिल कुमार             | पं.स. अलसीसर जिला झुन्झुनु | पं.स. खेतडी जिला झुन्झुनु  |
| 2.     | श्री राजेन्द्र कुमार स्वामी | पं.स. अलसीसर जिला झुन्झुनु | पं.स. सूरजगढ जिला झुन्झुनु |

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

नोट:-

1. उक्त आदेश में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण/पदस्थापन सही नाम से किया जावे।
2. यदि कार्मिक माननीय न्यायालय/अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत हैं तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी किया जावे।
3. यदि कार्मिक की परिवीक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे।
4. यदि किसी कार्मिक के स्थान पर स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जा रहा है तो उस कार्मिक का भी पदस्थापन इसी आदेश में अन्य रिक्त पद पर किया जाना सुनिश्चित करावे।

13/9/2019  
(सुनील शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव एवं  
संयुक्त आयुक्त (प्रशा.2)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
3. ए.सी.पी मुख्यालय को एक प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।
4. आदेश पत्रावली।

13/9/2019  
संयुक्त शासन सचिव एवं  
संयुक्त आयुक्त (प्रशा.2)